

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / २०८३ / २०२२ दिनांक : २०.०७.२०२२

श्री मुकेश आर्य (RJ0425), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) को दिनांक ११.०७.२०२२ से २२.०७.२०२२ तक १२ दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक ०९.०७.२०२२ से १०.०७.२०२२ एवं २३.०७.२०२२ से २४.०७.२०२२ के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-०२, कोटा/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

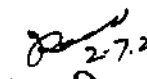
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) ०२-०७-२०२२

क्रमांक:—स्था.बी.२(४) / ५७ / २००२ / ५१००

दिनांक : ०२-०७-२०२२

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
२. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक ४९६१ दिनांक ०९.०६.२०२२ के सन्दर्भ में।
३. श्री मुकेश आर्य (RJ0425), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
४. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी (कोटा)।
५. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कम-०२, कोटा।
६. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी (कोटा)।


सहायक रजिस्ट्रार